

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) - जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 71/2018
3. उनवान : सरपंच ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर जरिये कंचन कंवर सरपंच ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा।

बनाम

- 1- रतन लाल जाट पुत्र हरजीराम जाट निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
  2. सचिव ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर
4. निर्णय दिनांक : 30.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री जुगल किशोर शर्मा निगरानीकारान की ओर से।  
ब) अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार पारीक गैर निगरानीकारान की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम श्रीरामपुरा की आबादी ख. नं. 319 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा है, जिसके लगवा ख.नं. 322 रकबा 7 बीघा प्राईमरी स्कूल श्रीरामपुरा की भूमि है, जिनका मौके पर सीमा चिन्ह नहीं है तथा गांव के आबादी क्षेत्र से मिली हुई है। गांव के कुछ लोगों ने स्कूल भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 10.07.2017 को ख.नं. 322/1 पर ग्राम पंचायत से अभियान के तहत पट्टा प्राप्त कर लिया। इस तथ्य की जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं रही कि पट्टाशुदा भूमि ख.नं. 322/1 की है, क्योंकि ख.नं. 319 का सीमाज्ञान नहीं हो रखा था तथा ख.नं. 322/2 की आबादी भूमि है। ग्रामवासियों के शिकायती प्रा. पत्र पर तहसीलदार फुलेरा ने आदेश दिनांक 28.05.2018 के तहत ख.नं. 322/1 रकबा 7 बीघा का सीमाज्ञान कराया तो ज्ञात हुआ कि रामनारायण पुत्र गोगाराम, रामचन्द्र पुत्र गोगाराम, रतन पुत्र हरजी, भेरू पुत्र महोदव, कैलाश पुत्र महादेव और लक्ष्मी पत्नी कैलाश आदि को सहवन से गलत पट्टा जारी हो गया है। ऐसे पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को अप्रार्थी को सहवन से गलत पट्टा जारी होने की जानकारी तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान करने से हुई, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा कोई जान बूझकर भूल नहीं की है, बल्कि एक सद्भावी त्रुटि है। यह तथ्य ज्ञात होते ही पंचायत द्वारा पट्टों को निरस्त कराने की कार्यवाही का प्रस्ताव लिया गया तथा उच्चाधिकारियों को कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया। विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 20.07.2018 को निगरानी की इजाजत दी गई। न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा कानूनन नहीं है, राज्य सरकार स्वयंमेव भी तथ्य जानकारी में आने पर पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकती है एवं गैर कानूनी शून्य प्रभावी आदेश पर समय सीमा लागू नहीं होती है। सरपंच ग्राम पंचायत को तथ्य की जानकारी होते ही न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समय सीमा में मानकर गुणावगुण पर निर्णय दिया जाना प्रार्थनीय है। विपक्षी संख्या 1 ने आवेदन के साथ गलत तथ्य एवं झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्कूल की भूमि का पट्टा प्राप्त कर लिया।

अन्त में निवेदन किया गया है कि निगरानी रवीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा द्वारा जारी पट्टा सं. 41 दिनांक 10.07.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा मूल पट्टा विपक्षी सं 1 से ग्राम पंचायत में जमा किये जाने के आदेश प्रस्तुत करें।



